छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011
(फाल्गुन-23, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि - आज राष्ट्रकुल दिवस है । राष्ट्रकुल संसदीय संघ के सदस्य देश, प्रतिवर्ष मार्च माह के द्वितीय सोमवार को **राष्ट्रकुल दिवस** के रूप में मनाते हैं ।

तदनुसार आज सोमवार, दिनांक 14 मार्च, राष्ट्रकुल दिवस है । इस वर्ष राष्ट्रकुल देशों ने **Women as agents of change** सूत्र को वर्ष 2011 का आधार बनाया है ।

विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी आज राष्ट्रकुल में सम्मिलित है । यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, सिद्धांतों, मूल्यों, आस्थाओं एवं परंपराओं के लगभग 2 अरब नागरिकों का समूह है । विश्व के 54 सदस्य देशों में विस्तारित इस संगठन की सफलता का आधार है-परस्पर सद्भाव, समझ-बूझ तथा असहमति एवं असमानता के होते हुए भी परस्पर सम्मान की भावना से ओत-प्रोत समुदाय की रचना करते हुए विश्व बंधुत्व की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने का दृढ़ संकल्प और वस्तुतः यही हमारे सुनहरे भविष्य, हमारी सुरक्षा, हमारी उन्नति और विकास का भी आधार है ।

विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं एवं बालिकाओं की है अर्थात् राष्ट्रकुल देशों की लगभग एक अरब की आबादी । किन्तु विश्व में व्याप्त लगभग दो-तिहाई समस्याओं से महिलाओं एवं बालिकाओं को जूझना पड़ता है । वैश्विक परिदृश्य में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों में लगभग दो-तिहाई बालिकाएं हैं, अशिक्षितों एवं एचआईवी/एड्स के साथ जीवित लोगों में दो-तिहाई महिलाएं हैं ।

हमें इस स्थापित तथ्य को समझना एवं स्वीकार करना होगा कि समृद्ध नारी शक्ति ही समृद्ध समाज का दर्पण है। महिलाओं एवं बालिकाओं के उत्थान एवं हित में किये गये निवेश से ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास को सुदृढ़ किया जा सकता है ।

अब समय आ गया है कि राष्ट्रकुल से सम्बद्ध सभी देशों में महिलाओं, बालिकाओं की गुणवत्तायुक्त शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच, समतामूलक व्यवहार, अपेक्षित सम्मान एवं समस्त विकासशील क्षेत्रों में सम-भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि समाज में पुरूष एवं बालकों की ही भांति उन्हें भी प्रगति एवं उन्नति के समान अवसर मिल सके ।

आईए, हम सब **महिलाओं का परिवर्तन की प्रतिनिधि के रूप में योगदान** सूत्र को अपना मूल मंत्र मानते हुए आज राष्ट्रकुल दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम परस्पर सहयोग, मेल-जोल एवं समन्वय से एक जागरूक, स्वस्थ, ऊर्जावान समाज के निर्माण से विश्व बंधुत्व को पुष्पित एवं पल्लवित करने हेतु सतत् प्रयासरत् रहेंगे ।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिष्कार

डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति की पदोन्नति व आरक्षण से संबंधित प्रश्न नहीं लगने के विरोध में आज दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य के इस आचरण की निंदा करते हुए इस पर आपत्ति व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

विधान सभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के विषय सदन में नहीं उठाये जाते।

मैं सभी माननीय सदस्यों से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि नई परंपरा न डालें। शून्यकाल में यदि आपने कोई सूचना दी है, उसको आप आधा-एक मिनट में अपनी बात कह दें। कोई ऐसी बात जिसकी सूचना भी नहीं दी है लेकिन शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वह शासन के ध्यान में आ जाये। लेकिन प्रश्न या विधान सभा की किसी बात को लेकर कक्ष में चर्चा कर सकते हैं। विधान सभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के विषय सदन में नहीं उठाये जाते। जिन प्रश्नों को नियमों के अंतर्गत अग्राह्य किया जाता है, उनके संबंध में मुझे लगता है कि यहां चर्चा करना उचित नहीं है, इसलिए इन चीजों से हम सबको बचना चाहिए।

5. पृच्छा

प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की गई।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.16 बजे स्थगित की जाकर 12.43 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने किसानों के द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में दोनों किसानों के परिवारों को शासन की ओर से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिर्रा, जैजैपुर में सेवारत शिक्षकों को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं में विसंगति एवं समान वेतन भत्तों का लाभ प्राप्त न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) (श्री धर्मजीत सिंह-अनुपस्थित), श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य ने रायगढ़ जिले की सारंगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गुड़ेली में नियम विरूद्ध क्रेशर प्लांट संचालित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

(3) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

(4) श्री मोहम्मद अकबर

(5) श्री फूलचंद सिंह

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री देवजी पटेल

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(3) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) राष्ट्रकुल दिवस पर निबंध प्रतियोगिता

आज राष्ट्रकुल दिवस पर विधानसभा सचिवालय ने प्रदेश के विभिन्न शालाओं में संसदीय प्रजातंत्र में विधानसभा एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका निबंध प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लगभग 30 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विधानसभा में आमंत्रित किया है और उन्हें विधानसभा की कार्यवाही

अवलोकित करवाई। इन प्रतिभाशाली प्रतिभागियों के लिए अपराह्न में एक निबंध प्रतियोगिता महिलाओं का परिवर्तन की प्रतिनिधि के रूप में योगदान विषय पर आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जायेगा। मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूं।

(2) फाईलेरिया कृमि मुक्ति दवा का वितरण

राष्ट्रीय फाईलेरिया दिवस पर फाईलेरिया कृमि से मुक्ति हेतु राज्य में दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है। विधान सभा के एलोपैथी औषधालय में दवा उपलब्ध है। माननीय सदस्य सुविधानुसार दवा वितरण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नों के ग्राह्य-अग्राह्य संबंधी चर्चा सदन में नहीं की जा सकती।

आज दिनांक 14 मार्च 2011 को प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् शून्यकाल में, मैंने माननीय सदस्य डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य को उनकी बात कहने के लिए अवसर दिया था । माननीय सदस्य डॉ. शिवकुमार डहरिया ने उनके द्वारा दिये गये प्रश्नों को अग्राह्य करने के संबंध में आपत्ति करते हुए दिन भर के लिए सदन का बहिष्कार किया।

सदन को यह विदित है कि अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के विषय सदन में नहीं उठाये जाते हैं और माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार सदन में प्रश्नों को अग्राह्य करने के संबंध में आपत्ति करने और पश्चात् बहिष्कार करने पर मैंने तत्समय यह व्यवस्था दी थी कि अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के विषय सदन में नहीं उठाये जाते हैं और जिन प्रश्नों को नियमों के अंतर्गत अग्राह्य किया गया है, उनके ऊपर सदन में चर्चा नहीं की जाती है ।

विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 38 में प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में प्रावधान है कि "अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अधीन ग्राह्य है अथवा नहीं और वह प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जिससे उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरूपयोग या इन नियमों का उल्लंघन होता हो।"

प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 36(1) से (21) एवं अध्यक्ष के स्थायी आदेश 19-क में प्रश्नों की गाह्यता संबंधी शर्तों का उल्लेख किया गया है ।

अध्यक्ष द्वारा नियमों के अंतर्गत जिन प्रश्नों का अग्राह्य किया गया है, उनके संबंध में इस प्रकार सदन में आपत्ति करना और अध्यक्ष के निर्णय के विरूद्ध सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करना संसदीय परम्परा के विपरीत है । माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई बात सदन में नहीं उठायी जाती है । यदि उन्हें किसी प्रश्न अथवा अन्य कामकाज के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो इस संबंध में अध्यक्ष से उनके कक्ष में चर्चा की जानी चाहिये । तदनुसार माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे इस प्रकार की घटनाओं की सदन में पुनरावृत्ति न करें। आज

इस प्रकरण से संबंधित माननीय सदस्य डॉ. शिवकुमार डहरिया द्वारा की गई समस्त बातों को सदन की कार्यवाही से विलोपित किया जाता है तथा स्वस्थ संसदीय परम्परा एवं व्यवहार के अनुरूप प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह माननीय सदस्य के विवेक पर छोड़ता हूं कि उन्हें अपने आचरण के लिए खेद प्रकट करना चाहिये अथवा नहीं ?

मैं यह भी चाहूंगा कि भविष्य में इस प्रकार नियमों के अंतर्गत अग्राह्य किये गये प्रश्नों, विभिन्न सूचनाओं एवं सचिवालय के संबंध में सदन में उल्लेख नहीं किया जाय और आसंदी द्वारा दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सदस्यगण अपना आचरण संयमित और शालीन रखें ।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उनके निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं होती और अध्यक्ष का निर्णय मंत्रिगण और सदस्यों के ऊपर समान रूप से बंधनकारी होता है ।

11. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, अग्नि चंद्राकर, मोहम्मद अकबर, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, भजनसिंह निरंकारी, लेखराम साहू, लखमा कवासी, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, चैतराम साहू, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-79 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, अग्नि चंद्राकर, **मांग संख्या-7 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, अग्नि चंद्राकर, चैतराम साहू, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-9 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-8 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, चैतराम साहू, मोहम्मद अकबर, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, **मांग संख्या-35 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-58 पर** सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री लखमा कवासी,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री फूलचंद सिंह, जयसिंह अग्रवाल, (श्री विरेन्द्र कुमार साहू-अनुपस्थित), (श्रीमती सुमित्रा मारकोले-अनुपस्थित), सर्वश्री गुरुमुख सिंह होरा, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, अग्नि चंद्राकर,

(सभापति महोदय (डॉ.शक्राजीत नायक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लेखराम साहू, खेदूराम साहू, टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, (महंत रामसुंदर दास-अनुपस्थित), सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, परेश बागबाहरा, संतोष बाफना,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक 4 (1) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, सेवकराम नेताम,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री देवजी पटेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 7.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 15 मार्च, 2011 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा